

272/6-2418/18
25/1/18



फार्म

*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार तिवारी 2. वर्तमान धारित पद सुपरवाइजर (वि. गृह)
3. वर्तमान वेतन 4,20,00 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. (म.प्र.) जिला रीवा में स्थित है।	20x40=800 का कुर 4 कमरे वाले हैं। (सर्वी में डीजल प्रो)		12,00,000 अनुमानित	स्वयं के नाम स्वयं का परिवार उपयोग कर रहे हैं। (सेवा में जाने से पूर्व)	1991-1992 में लोक सुरेन्द्र सिंह समाज रीवा में नैहण नगर में स्थित है।	कुछ नहीं स्वयं का परिवार रख रहा है।	X
2. (म.प्र.) जिला रीवा में स्थित है।	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। तीन भाई/उहिसा है।		18,00,000 अनुमानित	J.H.S. 560/149 बडे भाई के नाम है। मीग भाई है। 1/3 हिस्सा है।	1980-81 में श्री ज्ञान लाल शर्मा खरीदा है। हीरालाल डालोनी के पास रानी नगर रीवा स्थित है।	माता जी भाई का परिवार उप योग कर रहा है।	X
3. (म.प्र.) जिला रीवा में स्थित है।	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। (मिडि) सेवगा 4 कमरे	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। (मिडि) सेवगा 4 कमरे	3,00,000 अनुमानित	स्वयं के नाम (सेवा में जाने से पूर्व)	1981-1982 में शोनी लाल शर्मा हीरालाल डालोनी से खरीदा गया है।	रानी प्लाट माला डिग्री गंगा पानी भर है।	X
4. (म.प्र.) सुबेठिक राजपुर तला नइगाड़ी जिला रीवा में स्थित है।	पैत्रिक जमीन मकान है। (मिडि) सेवगा 4 कमरे	पैत्रिक जमीन मकान है। (मिडि) सेवगा 4 कमरे	16 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम अभी 2013 में पैत्रिक प्राप्त हुई है। (जमीन)	पैत्रिक जमीन मकान 4 कमरे पैत्रिक जमीन है।	पैत्रिक जमीन मकान 4 कमरे पैत्रिक जमीन है।	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम अशोक कुमार तिवारी
पद सुपरवाइजर (वि. गृह)
उप कार्या. विधान सभा